संख्या-42/2018/1825 ई-2/तेरह-2018-46/2017टीसी

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 जून,2018

विषय:-देश के अन्दर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु मदिरा की बोतलों के लेबुलों की संख्या सीमित किये जाने तथा लेबुल फीस बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-67/नौ/अल्कोहल/2018-19/लीजेण्ड, दिनांक 07 मई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रिया को सरलीकृत करने तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0)/बीयर/एल0ए0बी0 के उत्पादन व निर्यात में सुगमता लाने के उद्देश्य से मदिरा की बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबुलों की संख्या कम करने तथा इससे होने वाली क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत लेबुल की वर्तमान फीस बढ़ाकर लगभग चार गुना किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 मई,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0)/बीयर/एल0ए0बी0 के उत्पादन व निर्यात में सुगमता लाने हेतु उ0प्र0 विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (बीसवां संशोधन) निमावली,2018 के प्राविधानानुसार लेबुलों की संख्या कम करने तथा इससे होने वाली क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत देश/प्रदेश के बाहर भेजी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0) के लेबुल की वर्तमान फीस रू0 60,000/- से बढ़ाकर रू0 2,50,000/- करने, बीयर के लेबुल की फीस रू0 35,000/- से बढ़ाकर रू0 1,50,000/- करने तथा एल0ए0बी0 के लेबुल की फीस रू0 5,000/- से बढ़ाकर रू0 20,000/- निर्धारित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in